छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

द्वितीय अपील सं. 11/2002

1. गंगा (मृत) विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से

   1(ए) विष्णु राम, पिता स्व. गंगा राम, उम्र लगभग 45 वर्ष,

   निवासी ग्राम–चार्थिमा, पुलिस थाना एवं तहसील– अंबिकापुर,

   जिला सरगुजा (छ.ग.)

2. कोमल, पिता गंगा रजवार, उम्र लगभग 25 वर्ष,

   निवासी ग्राम–चार्थिमा, पुलिस थाना और तहसील अंबिकापुर,

   जिला– सरगुजा, छत्तीसगढ़

3. जीतन, पिता सघनु, उम्र लगभग 32 वर्ष,

   निवासी ग्राम–चार्थिमा, पुलिस थाना और तहसील अंबिकापुर,

   जिला– सरगुजा, छत्तीसगढ़

4. रामसे, पिता सघनु, उम्र लगभग 25 वर्ष,

   निवासी ग्राम–चार्थिमा, पुलिस थाना और तहसील अंबिकापुर,

   जिला– सरगुजा, छत्तीसगढ़

5. रामरतन पिता महादेव, उम्र लगभग 42 वर्ष,

   निवासी ग्राम–चार्थिमा, पुलिस थाना और तहसील अंबिकापुर,

   जिला– सरगुजा, छत्तीसगढ़

6. थौला, पिता शिवप्रसाद, उम्र लगभग 28 वर्ष,

   निवासी ग्राम–चार्थिमा, पुलिस थाना और तहसील अंबिकापुर,

   जिला– सरगुजा, छत्तीसगढ़

–– अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण

बनाम

1. बच्चू रजवार, पिता सघनु रजवार, उम्र लगभग 40 वर्ष,

   व्यवसाय कृषि, निवासी ग्राम–चार्थिमा, तह. अंबिकापुर,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जिला– सरगुजा, छत्तीसगढ़

2. हरिराम, उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी ग्राम–चार्थिमा,

तह. अंबिकापुर, जिला– सरगुजा, छत्तीसगढ़

–– उत्तरवादीगण/वादीगण

अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा : अधिवक्ता श्री ए.के. प्रसाद ।

उत्तरवादीगण/वादीगण द्वारा : कोई उपस्थित नहीं ।

माननीय श्री न्यायमूर्ति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव

आदेश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24/07/2019

सुनवाई की गई ।

उत्तरवादीगण को नोटिस की तामील के बावजूद उनके द्वारा कोई प्रतिनिधित्व नहीं किया गया है ।

1. यह अपील प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अंबिकापुर, जिला सरगुजा द्वारा सिविल अपील संख्या 98–ए/2001 में दिनांक 02.11.2001 को पारित निर्णय और डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत की है, जिसमें वर्तमान अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण की प्रथम अपील को खारिज कर दिया गया है और विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित के निर्णय जिसमें वादीगण/उत्तरवादीगण के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री प्रदान की गई है, की पुष्टि की गई है ।

2. यह अपील विधि के निम्नलिखित सारवान प्रश्न पर स्वीकार की गई थी:– "क्या अपीलीय न्यायालय ने संयुक्त परिवार की संपत्ति के सह–स्वामी के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा देकर दो आदेश पारित करने में कानून की त्रुटि की है, विशेष रूप से इस तथ्य के मद्देनजर कि स्थापित स्थिति यह है कि संपत्ति संयुक्त परिवार की संपत्ति है, जैसा कि

अनुलग्नक डी/1 और डी/2 से स्पष्ट है?"

3. उत्तरवादीगण/वादीगण ने स्थायी निषेधाज्ञा और क्षतिपूर्ति के अनुतोष के लिए वाद संस्थित किया है, जिसमें यह अभिवचन दिया गया है कि वाद पत्र की अनुसूची "अ" में वर्णित वाद ग्रस्त भूमि वादीगण की स्व–अर्जित संपत्ति है। यह अभिवचित किया गया है कि वादीगण और प्रतिवादीगण संयुक्त परिवार से हैं, लेकिन दोनों पक्ष सर्वेक्षण बंदोबस्त के दौरान बहुत पहले ही अलग हो गए थे और तब से वे अलग–अलग रह रहे हैं और अपना व्यवसाय कर रहे हैं और वे किसी भी तरह से संयुक्त नहीं हैं। वादीगण के अनुसार, प्रतिवादियों ने वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है, इसलिए वादीगण को खसरा संख्या 254, 255 और 256 में शामिल भूमि के संबंध में स्थायी निषेधाज्ञा की मांग करने की आवश्यकता थी, जहां प्रतिवादीगण उनके कब्जे में हस्तक्षेप कर रहे हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. जबकि प्रतिवादी संख्या 5 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई, अन्य सभी प्रतिवादियों ने संयुक्त जवाबदावा पेश किया, जिसमें उन्होंने यह कहा कि वादग्रस्त संपत्ति वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त पारिवारिक संपत्ति है और इसका कभी बंटवारा नहीं हुआ था, किन्तु वादी ने दिनांक 15.11.1987 को धोखे से राजस्व अभिलेखों में अपना नाम दर्ज करा लिया था । प्रतिवादीगण ने विशिष्ट रूप से इस बात से इनकार किया कि खसरा संख्या 254, 255 और 256 में शामिल विवादित संपत्ति वादी की स्व–अर्जित संपत्ति है। यह तर्क दिया गया कि खसरा नंबर 256 में शामिल भूमि दिला बरगाह भूमि के रूप में दर्ज है और खसरा नंबर 254 और 255 में शामिल भूमि जग्गू रजवार, सघन रजवार, बंधन रजवार, अघनू रजवार के नाम पर संयुक्त रूप से बंदोबस्त की गई थी, जो रामनाथ रजवार के पुत्र थे।

5. विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा सात वाद प्रश्नों की विरचना की गई थी ।

6. वाद प्रश्न क्रमांक 6 यह विरचित किया गया था कि क्या पक्षों के मध्य संयुक्त पारिवारिक संपत्ति का वैध विभाजन हुआ था । यह वाद प्रश्न इसलिए विरचित किया गया था क्योंकि वादी के अनुसार, सर्वेक्षण बंदोबस्त के दौरान विभाजन बहुत पहले हो चुका था

और उसने दावा किया कि संपत्ति स्व–अर्जित संपत्ति है, जबकि प्रतिवादीगण ने किसी भी विभाजन से इनकार किया और कहा कि विवादित संपत्ति संयुक्त परिवार की संपत्ति है और रहेगी। विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी साक्षी क्रमांक 1 गंगा के साक्ष्य के आधार पर उपरोक्त मुद्दे पर एक निष्कर्ष दिया जिसमें प्रतिवादी साक्षी ने यह बयान दिया था कि विभाजन हुआ था । इस निष्कर्ष की पुष्टि विद्वान अपीलीय अदालत ने भी की है। इस निष्कर्ष पर कि विभाजन पहले ही हो चुका है, विद्वान न्यायालय ने विवादित संपत्ति पर वादी के लंबे समय से कब्जे के आधार पर उसके पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री प्रदान की, जैसा कि वाद प्रश्न पर निष्कर्ष निकाला गया था कि क्या वादी विवादित संपत्ति पर 25–30 वर्षों से कब्जा कर रहे थे और खेती कर रहे थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. अपीलार्थीगण के विद्वान वकील ने तर्क किया है कि वादी का वाद निरस्त किया जाना चाहिए क्योंकि वादी का दावा तथाकथित विभाजन पर विवादित संपत्ति के हिस्से के रूप में प्राप्ति पर आधारित नहीं था, बल्कि इस तर्क पर आधारित था कि विवादित संपत्ति स्व–अर्जित थी। उसके अनुसार, वादीगण ने इस संबंध में न तो कोई अभिवचन दिया और न ही कोई साक्ष्य पेश किया कि उन्होंने विवादित संपत्ति कैसे और किस तरह से अर्जित की थी । एक बार जब विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष दिया कि संपत्ति संयुक्त परिवार की संपत्ति थी, तो वादी का वाद निरस्त होना तय है । अपीलार्थीगण के विद्वान वकील का अगला तर्क यह है कि विवादित संपत्ति, जिसके संबंध में निषेधाज्ञा मांगी गई थी, जैसा कि अनुसूची–अ में दिखाया गया है, खसरा नंबर 254, 255 और 256 में शामिल संपत्ति से बहुत कम है, यह साबित किया जा सकता है कि वादी ने विभाजन में संपत्ति प्राप्त की थी। उसने आगे तर्क दिया कि वादीगण के पक्ष में डिक्री नहीं दी जा सकती, जब तक कि वादीगण यह प्रमाणित न कर दें कि यह उनकी खुद की अर्जित संपत्ति है या विवादित संपत्ति उन्हें विभाजन के समय उनके हिस्से के रूप में मिली थी। यह तर्क दिया गया है कि एक बार जब संपत्ति संयुक्त परिवार की संपत्ति के रूप में दर्ज हो जाती है, तो वादी पर यह साबित करने का भार होता है कि बाद में इसका विभाजन हुआ था और उस विभाजन में उन्हें वादपत्र में दर्शाई गई संपत्ति में शामिल भूमि के रूप में अपना हिस्सा मिला था।

8. वादीगण द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा और क्षतिपूर्ति की डिक्री के लिए संस्थित किया गया वाद इस अभिवचन पर आधारित है कि संयुक्त परिवार से संबंधित सभी पक्षकार बहुत पहले सर्वेक्षण बंदोबस्त के समय सभी मामलों में अलग हो गए थे और तब से वे अलग–अलग खेती कर रहे हैं, अपना व्यवसाय कर रहे हैं एवं अलग–अलग रह रहे हैं, और किसी भी तरह से संयुक्त रूप से नहीं रह रहे हैं। वादीगण ने इस आधार पर स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री मांगी कि वादग्रस्त संपत्ति स्व–अर्जित संपत्ति है । हालांकि, वादपत्र में इस संबंध में कोई अभिवचन नहीं किया है कि उन्होंने विवादित संपत्ति कैसे और किस तरीके से अर्जित की। इस बात का कोई अभिवचन नहीं किया है कि संपत्ति बिक्री या हस्तांतरण के अन्य तरीकों से अर्जित की गई है और न ही इस तरह का कोई अभिवचन है कि कृषि भूमि का कोई सरकारी पट्टा उनके पक्ष में किया गया था। वाद पत्र में केवल समझौते के अलावा कि विवादित संपत्ति स्व–अर्जित संपत्ति थी, कोई विशिष्ट अभिवचन नहीं किया गया है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. दूसरी ओर, प्रतिवादीगण ने न केवल विवादित संपत्ति के संयुक्त परिवार की संपत्ति होने का अभिवचन किया, बल्कि साक्ष्य के रूप में दो महत्वपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य प्र.डी–1 और प्र.डी–2 भी पेश किए, जो कि चतिरमा गांव के सरगुजा राज्य बंदोबस्त के अभिलेख हैं। खाता क्रमांक 13 के अंतर्गत रायती भूमि जग्गू रजवार, सघन रजवार, बंधन रजवार, अघनु रजवार सभी रामनाथ रजवार के पुत्र के नाम पर संयुक्त रूप से दर्ज दर्शाई गई है, जो खसरा क्रमांक 147, 243, 242, 236, 245, 235, 248, 237, 255, 256 और 254 में समाहित 24 एकड़ भूमि के संबंध में है। खसरा क्रमांक 123, 132, 133, 134, 146, 241, 252 और 256 में समाहित भूमि सरगुजा राज्य बंदोबस्त में खाता क्रमांक 16 के अंतर्गत दिल्ला बरगाह, पुत्र महतो बरगाह के नाम पर दर्ज दर्शाई गई है। विचारण न्यायालयों ने उपरोक्त दो निर्णायक दस्तावेजी साक्ष्यों पर अविश्वास न करते हुए, यह स्पष्ट रूप से स्थापित किया है कि विवादित संपत्ति जिसके संबंध में वादीगण ने स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री मांगी थी, संयुक्त परिवार की संपत्ति थी। वादीगण का यह दावा था कि सर्वेक्षण बंदोबस्त के दौरान ही भूमि का विभाजन हुआ था, इसको साबित करने का भा वादीगण पर था कि विभाजन कब, कैसे और किस तरह हुआ और संयुक्त परिवार की संपत्ति का कौन

सा हिस्सा वादीगण के हिस्से में आवंटित किया गया।

10. विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी क्रमांक 1 गंगा राम द्वारा अपने साक्ष्य में बताई गई बातों के आधार पर विभाजन का निष्कर्ष दर्ज दिया था । हालांकि गंगा राम के साक्ष्य में भी इस बात का कोई विशेष विवरण नहीं है कि परिवार के सदस्यों के मध्य कब और किस तरह से विभाजन हुआ था और यदि विभाजन हुआ था तो संयुक्त परिवार की संपत्ति का कौन सा हिस्सा वादीगण को आवंटित किया गया था और उनके हिस्से में आवंटित भूमि की सीमा कितनी थी।

11. वादीगण का मुकदमा खारिज होने योग्य था, क्योंकि वे यह साबित करने में विफल रहे कि वादग्रस्त संपत्ति स्व–अर्जित संपत्ति थी और एक वैध विभाजन हुआ था, जिसमें विवादित संपत्ति उनके हिस्से में आवंटित की गई थी। यह ध्यान देने योग्य है कि वादीगण ने संयुक्त परिवार की संपत्ति के रूप में दर्शाई गई संपत्ति की संपूर्ण सीमा के संबंध में स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री मांगी थी, जिसे राजस्व बंदोबस्त प्रदर्श.डी–1 के तहत दर्शाया गया था। इसका मतलब है कि सर्वेक्षण बंदोबस्त के समय वादीगण का विभाजन का दावा स्थापित नहीं हुआ था। विद्वान विचारण न्यायालयों ने प्रतिवादी क्रमांक 1 गंगा राम के साक्ष्य में विभाजन के एक कथन के आधार पर वादीगण के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री दी, जिसमें विभाजन और विभिन्न शेयरधारकों द्वारा प्राप्त हिस्सेदारी का कोई विवरण नहीं था। एक बार जब संपत्ति संयुक्त परिवार की संपत्ति साबित हो जाती है, जैसा कि विचारण न्यायालयों द्वारा माना गया है, संयुक्तता की अवधारणा के खण्डन को साबित करने का भार वादीगण पर है, जिन्होंने संयुक्त परिवार की संपत्ति के विभाजन का अभिवचन किया था । वादी यह साबित करने में असफल रहे है । अतः यह माना जा सकता है कि संपत्ति संयुक्त संपत्ति थी इसलिए, वादी के पक्ष में कोई स्थायी निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती।

12. परिणामस्वरूप, विधि के सारवान प्रश्न का उत्तर सकारात्मक रूप से यह दिया जाता है कि विचारण न्यायालयों ने संयुक्त परिवार की संपत्ति के सह–स्वामी प्रतिवादीगण के विरुद्ध वादीगण के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा प्रदान करने में विधि की स्पष्ट त्रुटि और

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विकृति की है।

13. परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है और विचारण न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को अपास्त किया जाता है तदानुसार वादी के द्वारा संस्थित वाद को निरस्त किया जाता है। पक्षकार अपने–अपने खर्चे स्वयं वहन करेंगे ।

14. तदानुसार अपीलीय डिक्री तैयार की जावे।

सही/–
(मनींद्र मोहन श्रीवास्तव)
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur